उत्तर प्रदेश सरकार
शिक्षा अनुभाग-7

संख्या- 3746 /15-7-10(62)/1985
लखनऊः दिनांकः 9 सितम्बर, 1997

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1982 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1982) की धारा 35 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग नियमावली, 1995 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है :-

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1997

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1997 कही जायगी ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

नियम2का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग नियमावली, 1995 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नियम 2 में, खण्ड (ख) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात :-

"(खख) सम्भागीय संयुक्त निदेशक" का तात्पर्य किसी सम्भाग के प्रभारी सम्भागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक से है, "

नियम 12 का संशोधन

3- उक्त नियमावली में, नियम 12 में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये उप नियम (4) और (5) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिये गये उप नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात :-

स्तम्भ-1 वर्तमान उप नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
(4) प्रवक्ता और प्रशिक्षित स्नातक (एल0टी0) श्रेणी में अध्यापकों के पद के लिए अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के	प्रवक्ता और प्रशिक्षित स्नातक (एल0टी0) श्रेणी में अध्यापकों के पद के लिए अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के समय आयोग उन संस्थाओं की सूची, जिन्होंने

....2/-

समय आयोग उन संस्थाओं की सूची, जिन्होंने उसे रिक्ति अधिसूचित की हो, दिखाने के पश्चात् अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा करेगा कि यदि वह इच्छुक हो तो अधिमानता के क्रम में अधिक से अधिक पांच ऐसी संस्थाओं को चुन ले जो उसके गृहजिले में स्थित न हो और जहां वह चयन हो जाने पर नियुक्ति के इच्छुक हो ।	उसे रिक्ति अधिसूचित की हो, दिखाने के पश्चात अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा करेगा कि यदि वह इच्छुक हों तो अधिमानता के क्रम में अधिक से अधिक पांच ऐसी संस्थाओं को चुन ले जहां वह चयन हो जाने पर नियुक्ति के इच्छुक हो ।
(5) उपनियम (3) के अनुसार पैनल तैयार करने के पश्चात आयोग प्रवक्ता और प्रशिक्षित स्नातकों (एल०टी०) श्रेणी में अध्यापकों के पदों के संबंध में चयनित अभ्यर्थियों को इस रीति से संस्थाओं का आवंटन करेगा कि वह अभ्यर्थी, जिसका नाम पैनल में शीर्ष पर हो, उप नियम (4) के अनुसार उसके द्वारा दिये गये प्रथम अधिमानता की संस्था में आवंटित होगा । जहां किसी चयनित अभ्यर्थी को इस आधार पर उसके अधिमान की संस्थायें आवंटित नहीं की जा सकती कि पैनल में उससे उच्चतर स्थान वाले अभ्यर्थियों को पहले ही ऐसी संस्थायें आवंटित की जा चुकी है, और कि उनमें कोई रिक्ति शेष नहीं है तो आयोग उसको कोई भी संस्था, जो वह उचित समझे, आवंटित कर सकता है : परन्तु यह कि किसी अभ्यर्थी को उसके गृह जिले की संस्था आवंटित नहीं की जायेगी ।	(5) उपनियम (3) के अनुसार पैनल तैयार करने के पश्चात आयोग प्रवक्ता और प्रशिक्षित स्नातकों (एल०टी०) श्रेणी में अध्यापकों के पदों के संबंध में चयनित अभ्यर्थियों को इस रीति से संस्थाओं का आवंटन करेगा कि वह अभ्यर्थी, जिसका नाम पैनल में शीर्ष पर हो, उप नियम (4) के अनुसार उसके द्वारा दिये गये प्रथम अधिमानता की संस्था में आवंटित होगा । जहां किसी चयनित अभ्यर्थी को इस आधार पर उसके अधिमान की संस्थायें आवंटित नहीं की जा सकती कि पैनल में उससे उच्चतर स्थान वाले अभ्यर्थियों को पहले ही ऐसी संस्थायें आवंटित की जा चुकी है, और कि उनमें कोई रिक्ति शेष नहीं है तो आयोग उसको कोई भी संस्था, जो वह उचित समझे, आवंटित कर सकता है :

नियम 15 का संशोधन

4- उक्त नियमावली में, नियम 15 में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये उप नियम (5) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

वर्तमान उप-नियम

(5) (क) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की संस्थाओं का आवंटन इस प्रकार करेगी कि उन अभ्यर्थियों को जिनका, नाम उप-नियम (3) के अधीन तैयार सूची में शीर्ष पर हो, उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन दिये गये जिले के अधिमान को दृष्टि में रखते हुए वह संस्था आवंटित की जायगी जिसका नाम उपनियम (4) के अधीन तैयार सूची में शीर्ष पर हो । यदि किसी चयनित अभ्यर्थी को उसके अधिमान के जिले की किसी संस्था का आवंटन इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि पैनल में उच्चतर स्थान के अभ्यर्थियों को ऐसे जिले की संस्थाओं को पहले ही आवंटित कर दिया गया है और उस जिले में कोई भी रिक्ति शेष नहीं है तो चयन समिति उसे किसी भी जिले में कोई भी संस्था आवंटित कर सकती है जैसा वह उचित समझे । इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति संस्थाओं में रिक्तियों के भरे जाने तक की जायेगी ।

परन्तु किसी भी अभ्यर्थी को उसके गृह जिले की संस्था का आवंटन नहीं किया जायेगा ।'

(ख) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों के नामों को नियुक्ति के लिये उन संस्थाओं को, जिन्हें उसे आवंटित किया गया है, के प्रबन्धतंत्र को संबंधित निरीक्षक को एक प्रति देते हुए, संस्तुत करेगी ।'

स्तम्भ 2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम

(5) (क) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों को संस्थाओं का आवंटन इस प्रकार करेगी कि उन अभ्यर्थियों को जिनका, नाम उपनियम (3) के अधीन तैयार सूची में शीर्ष पर हो, उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन दिये गये जिले के अधिमान को दृष्टि में रखते हुए वह संस्था आवंटित की जायगी जिसका नाम उपनियम (4) के अधीन तैयार सूची में शीर्ष पर हो । 'यदि किसी चयनित अभ्यर्थी को उसके अधिमान के जिले की किसी संस्था का आवंटन इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि पैनल में उच्चतर स्थान के अभ्यर्थियों को ऐसे जिले की संस्थाओं को पहले ही आवंटित कर दिया गया है और उस जिले में कोई/भी संस्था आवंटित कर सकती है जैसा वह उचित समझे । इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति संस्थाओं में रिक्तियों के भरे जाने तक की जायेगी ।

(ख) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों के नामों को नियुक्ति के लिए उन संस्थाओं को, जिन्हें उसे आवंटित किया गया है, के प्रबन्धतंत्र को संबंधित निरीक्षक को एक प्रति देते हुए, संस्तुत करेगी'।

× रिक्ति शेष नहीं है, तो चयन समिति उसे किसी भी जिले में कोई

आज्ञा से,

(शेखर अग्रवाल)
सचिव (माध्यमिक)